समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला पशुपालन विभाग)

पत्रांक ______ /पशुपालन

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधुबनी, दिनांक _____ वीं जुलाई 2015 ई0।

विषयः संभावित बाढ़ 2015 के अवसर पर चारे की क्रय/आपूर्ति हेतु पुनः निविदा का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संभावित बाढ़ 2015 से प्रभावित होने वाले पशुओं के पशुपालक को चारा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक– 16.07.2015 को अपराह्न 01:00 बजे तक निविदा संख्या 01/वर्ष– 2015, पी.आर. नं0– 3818 (पशु) 15–16 के द्वारा मुहरबंद निविदा आमंत्रित की गई थी। परंतु निर्धारित समय तक किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के द्वारा चारे की आपूर्ति हेतु निविदा नही दी गई। दिनांक– 16.07.2015 को जिला स्तरीय क्रय समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक– 03.08.2015 को 01:00 बजे अपराह्न में पुनः निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।

अतः निविदा के प्रकाशन हेतु निविदा पत्र की चार प्रति सी.डी. सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दो प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से अतिशीघ्र कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– यथावर्णित।

विश्वासभाजन,
21/7/15
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 750 / दिनांक 23-07-2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रिय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को निविदा की एक प्रति के साथ सुचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, मधुबनी जिला को निविदा की दो प्रति के साथ सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मधुबनी को निविदा को बेवसाइट के माध्यम से प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्रय समिति के सभी सदस्यों अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मधुबनी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक वाणिज्य कर आयुक्त/ जिला लेखा पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी को सूचनार्थ एवं दिनांक– 03.08.2015 को अपराह्न 02:30 बजे जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/आ0प्र0, मधुबनी के कार्यालय कक्ष में आयोजित क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक– निविदा की प्रति।

21/7/15
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला पशुपालन विभाग)

निविदा संख्या– 01/वर्ष : 2015

संभावित बाढ़ 2015 से प्रभावित होने वाले पशुओं को चारा की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक– 03.08.2015 के अपराह्न 01:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्न 02:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सभी निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

–: सामग्रियों का विवरण :–

सूखा चारा (गेहूँ का भूसा) – दर प्रति क्विंटल

(मधुबनी जिला के प्रभावित प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचाने का भाड़ा सहित)

निविदा हेतु शर्त :–

1. निविदा के रूप में तकनीकि एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तकनीकि निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जमा किये गये निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

तकनीकि निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकि निविदा फार्म का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं0 एवं पैन कार्ड की छायाप्रति एवं फर्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नही है, के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में मो0– 10,000=00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी पर भुगतेय होगा, तकनीकि लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा खुलने के दि नही निविदा दाताओं को आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नमूना उल्लेखित दर के अनुरूप देना होगा तथा नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना संतोषप्रद नही होने पर इसे अस्वीकृम करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा, चाहे निविदा दाता का दर न्यूनतम ही क्यों न हों।

वित्तीय की अन्य शर्तें :–

1. निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा का आपके फर्म का न्यूनतम दर परिवहन व्यय सहित अंकित होगा।

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला में किसी स्थानों पर समानों की आपूर्ति करनी होगी तथा निविदा में स्वीकृत दर पूरे बाढ़ अवधि के लिए मान्य होगी।
3. स्वीकृत निविदा दाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
4. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इस निविदा से संबंधित जानकारी madhubani.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।